बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 22-04-2026/

संचिका संख्या– 13/मु०–09–37/2025...406.....माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०– 6909/2025 मेराज आलम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.03.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"..... 5. After hearing the parties, it transpires that there is no decision taken by the authorities concerned on the representation of the petitioners (Annexure-P/6).

6. As such, without entering into the merit or demerit of the case, the Director, Mass Education, Department of Education, Government of Bihar, Patna (Respondent no.3) is hereby directed to pass a reasoned and speaking order on the petitioners' representation dated 09.09.2024 (Annexure- P/6) within 90 days from the date of production of a copy of this order.

7. Accordingly, with the aforesaid direction, this writ petition stands disposed off"

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये अभ्यावेदन (Annexure- P/6) का अवलोकन किया गया। उक्त अभ्यावेदन (Annexure- P/6) में अंकित किया गया है कि विभागीय पत्रांक 1436 दिनांक 11.08.2023 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 59 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर विहित प्रपत्र में सूची फोल्डर सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने के बाबजूद अबतक समायेजन नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्पित किये गये अभ्यावेदन (Annexure- P/6) के समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), कटिहार के पत्रांक 59 दिनांक 24.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय पत्रांक 1436 दिनांक 11.08.2023 के आलोक में कुल 66 (छियासठ) आवेदकों से प्राप्त फोल्डर की बारीकी से जाँच करने के उपरांत कुल 11 (ग्यारह) भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक सभी अहर्त्ता पूर्ण करते है, का फोल्डर अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 267 दिनांक 16.02.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल 11 (ग्यारह) भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का फोल्डर को वापस करते हुए उक्त अनुदेशकों के द्वारा जिलास्तरीय कमिटि के समक्ष निर्धारित अवधि में आवेदन, दावा/आपत्ति प्रस्तुत किया गया था अथवा नही, अगर निर्धारित अवधि में आवेदन, दावा/आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, तो किस परिस्थिति में उक्त अनुदेशकों के सामयोजन हेतु प्रतिवेदन/अनुशंसा अत्यअधिक विलंब से उपलब्ध कराया गया है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, कटिहार को निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), कटिहार के पत्रांक 768 दिनांक 15.11.2024 के द्वारा बताया गया कि विभागीय पत्रांक 2014 दिनांक 04.09.2019 के आलोक में निर्धारित अवधि के अंदर याचिकाकर्त्ताओं

के द्वारा दावा/आपत्ति जिला कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिलास्तरीय कमिटी, कटिहार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर याचिकाकर्त्ताओं के समायोजन संबंधी अनुशंसा/प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके कारण याचिकाकर्त्ताओं को समायोजन संबंधी दावा मान्य नहीं है।

ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिभ्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 में प्रावधानित मुख्य शर्तों यथा–(i) संबंधित अनुदेशक द्वारा समायोजन के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक 26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया गया हो तथा (ii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहें हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले वैसे अनुदेशकों की वास्तविक संख्या एवं पहचान स्थापित करने के लिए जिलास्तर पर समिति गठित की गयी थी। जिलास्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुदेशकों के समायोजन संबंधित कार्रवाई की गयी है।

इस संबंध में वर्ष 2016 में इस आशय की सूचना 02 बार समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए सभी संबंधित अनुदेशकों को अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समुचित साक्ष्य सहित निर्धारित अवधि में आवदेन समर्पित करने का निदेश दिया गया तथा इस आशय की सूचना शिक्षा विभाग के वेबसाईट पर भी प्रकाशित की गयी। जिलास्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आधार पर कतिपय अनुदेशकों का समायोजन का कार्रवाई किया गया। जिलास्तरीय समिति के द्वारा अनुशंसित नहीं किये जाने के कारण समायोजन से वंचित अनुदेशकों के द्वारा वर्ष 2017 में बड़ी संख्या में अवमाननावाद माननीय न्यायालयों में दायर किये गये थे। जिनमें पारित आदेश के आलोक में समायोजन से वंचित समस्त अनुदेशकों के दावों की एक बार पुनः जाँच करते हुये योग्य अनुदेशक के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिये प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश संख्या 2530 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा प्रथम कमिटी को भंग करते हुये वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में नई जिला कमिटी गठित की गई थी।

दो–दो बार जिलास्तरीय समिति से जाँच करा लिये जाने के बावजूद जिला समिति द्वारा समायोजन के लिए अनुशंसित नहीं किये जाने के कारण समायोजन से वंचित अनुदेशकों के द्वारा बड़ी संख्या में अवमाननावाद दायर किये गये थे। कुल 62 अवमाननावादों को एक साथ सूचीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय, पटना के डिवीजन बेंच के द्वारा एम०जे०सी०सं०–54/2013 के अधीन सुनवाई की गई। सभी अवमानावाद को दिनांक 22.08.2019 को पारित आदेश से निष्पादित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा समायोजन से वंचित अनुदेशकों को अंतिम अवसर के तहत अपने जिले के जिला समिति के समक्ष 45 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया तथा जिला समिति को प्राप्त दावा/आपत्ति के आधार पर निर्धारित समय में निर्णय लेने का आदेश दिया गया। एम०जे०सी०सं०–54/2013 में पारित आदेश के अनुपालन एवं संबंधित अनुदेशकों को इस आदेश की जानकारी देने के लिए विभाग के स्तर से दिनांक 05.09.2019 को राज्य के प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये गये तथा विभागीय पत्रांक 2014 दिनांक 04.09.2019 के द्वारा सभी जिला स्तरीय कमिटी को अनुदेशकों से दावा/आपत्ति प्राप्त करने एवं

जिला समिति के स्तर से निर्णय लेकर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निर्धारित अवधि के बाद दावा प्रस्तुत करने वाले अनुदेशकों के दावे पर विचार नहीं किये जाने का स्पष्ट सूचना समाचार में प्रकाशित किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिला समिति के समक्ष आवेदन समर्पित करने हेतु याचिकाकर्ता मेराज आलम एवं अन्य को वर्ष 2016 से वर्ष 2019 के बीच कुल 03 अवसर प्रदान किये गये तथा इस आशय की सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सर्वसाधारण को सूचित किया गया, परन्तु याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने संबंधी दस्तावेजों के साथ अपना दावा/आपत्ति जिला समिति के समक्ष समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता मेराज आलम एवं अन्य का समायोजन संबंधी दावा मान्य नहीं है।

अतएव वर्णित स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों को पूर्ण नहीं करने एवं जिलास्तरीय समिति, कटिहार से समायोजन हेतु ससमय अनुशंसा प्राप्त न होने के आधार पर याचिकाकर्ताओं मेराज आलम एवं अन्य, जिला–कटिहार का समायोजन संबंधी दावा एतद् द्वारा अस्वीकृत/खारिज किया जाता है।

यह आदेश सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०– 6909/2025 मेराज आलम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.03.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

Vijay 22/4/2026

(विजय कुमार)

अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/मु० 09–37/2025 406 /पटना दिनांक 22-04-2026

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), कटिहार/याचिकाकर्ता मेराज आलम एवं अन्य, जिला–कटिहार एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 22/4/2026

अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।